कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः राँची, दिनांक :

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 KV, D/C पतरातू–लातेहार T/L निर्माण हेतु संशोधित कुल 163.5868 हे0 हेतु (लातेहार वन प्रमंडल–103.681 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल–7.9685 हे0, एवं राँची वन प्रमंडल–51.9373 हे0) वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय राँची का पत्रांक FP/JH/Trans/32955/2018/368 दिनांक 29.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि 400KV D/C पतरातु–लातेहार ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु प्रस्ताव सं0 FP/JH/Trans/32955/2018 हेतु कुल **163.5868 हे0** वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर कतिपय पृच्छा की गई है।

भारत सरकार द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 2108 दिनांक 28.12.2022 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 1817 दिनांक 19.12.2022 द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया। अनुपालन प्रतिवेदन की जांच में कुल प्रस्तावित वनभूमि के KML Area एवं लातेहार वन प्रमंडल अंतर्गत CA हेतु चयनित अवकृष्ट वनभूमि का KML Area में भिन्नता पाई गयी। इसके निराकरण हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इस कार्यालय के पत्रांक 24 दिनांक 04.01.2023 द्वारा निदेशित किया गया।

तदोपरांत क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 723 दिनांक 04.05.2023, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 493 दिनांक 09.05.2023 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक 289 दिनांक 13.05.2023 **सभी पत्रों की (छायाप्रति संलग्न)** द्वारा निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के प्रतिवेदनानुसार भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण निम्नवत् हैः–

क्र0	पृच्छाऐ	निराकरण
1	In above subject it is to apprise your goods self that the initial examination of the FC Proposal **no.FP/.mtrRANS/32955/2018** at IRO level revealed that numerous incorrect entries in the online application forms has been done. Even the area calculated from the upload **kml file** is only 4 ha whereas the proposal is for diversion of 163.5868 ha forest area. Similar discrepancies are present in various other parts of the online application too including proposed CA area. It is therefore requested that user agency may kindly be asked to reexamine the application meticulously and correct them	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर द्वारा सूचित किया गया है कि अपयोजित की जाने वाली वनभूमि एवं CA Area का संशोधित KML File PARIVESH Portal पर अपलोड कर दिया गया है।

	before forwarding. Concerned Forest Offices also may be requested to analyze the application adequately before accepting & further forwarding. Accordingly, the proposal is hereby being returned along with the request made above.	

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / बोकारो / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल मेदिनीनगर / बोकारो द्वारा समर्पित की तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल **163.5868** हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक & HoFF का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0ः–यथोक्त्।

विश्वासभाजन

28.05.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

29.5.23